[2021] 2 एस.सी.आर 595

नागभूषण

बनाम

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 443/2020)

08 मार्च, 2021

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह, न्यायमूर्तिगण]

भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 300 (चौथा); धारा 498ए, 303 आर/डब्ल्यू 34–दहेज मृत्यु–मृत्यु घोषणा–अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया गया विचारण न्यायालय द्वारा–अपीलार्थी को बरी करना–अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया न्यायालय–अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः दो मरने वाली घोषणाएँ हैं, प्रदर्शनी पी5 और प्रदर्शनी डी2–मृत्यु घोषणा प्रदर्शनी पी5 के अनुसार, इसमें है यह साबित हो गया कि मृतक को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई थी

उस पर–अभियोजन यह साबित करने में सफल है कि अपीलार्थी

मृतक पर मिट्टी का तेल डाला जाता है–अभियुक्त का कार्य एस के चौथे खंड में आता है। 300 – केवल इसलिए कि उसके बाद उसने आग बुझाने की कोशिश की होगी, जो मामले को खंड से बाहर नहीं लाएगा चौथा एस। 300 – उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया s.302–विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – s.378।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

अभिनिर्धारित किया गया: 1.1 उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से अवलोकन किया है और कहा है कि निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को खारिज कर दिया गया है और /

या मृत्यु घोषणा (प्रदर्शनी पी5) पर विश्वास न करना विकृत है और अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत। उच्च न्यायालय ने कहा है कि

मृत्यु घोषणा पर विश्वास करते हुए ठोस कारण (पी5 प्रदर्शित करें) और बाद में मृत्यु में जो कहा गया है, उस पर भी विस्तार से विचार किया है

घोषणा (पी5 प्रदर्शित करें), विज़–ए–विज़, चिकित्सा साक्ष्य और मृतक को लगी चोटें। इसलिए, जैसे कि उच्च

अदालत ने पूरे मामले की फिर से सराहना करने में कोई गलती नहीं की है। अभिलेख पर साक्ष्य और उसके बाद निर्णय में हस्तक्षेप करना

और निचली अदालत द्वारा बरी करने का आदेश पारित किया गया, जिसमें पाया गया कि

विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विकृत। वर्तमान मामले में

दो अंतिम घोषणाएँ हैं, (i) प्रदर्शनी पी5 और (ii) प्रदर्शनी डी2। जब कई मृत्यु घोषणाएँ होती हैं, तो प्रत्येक मर जाता है घोषणा का अलग से मूल्यांकन और मूल्यांकन अपने गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश में दूसरी मृत्यु घोषणा–प्रदर्शनी पी5 पर भरोसा करने और उस पर विश्वास करने के लिए ठोस कारण दिए हैं। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि दूसरी मृत्यु घोषणा विश्वसनीय है और दूसरी मृत्यु घोषणा में संस्करण परिस्थितियों द्वारा समर्थित है, अर्थात्, मृतक को लगी चोटें; घटना के स्थान पर कोई चूल्हा नहीं मिला था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया गया है कि दूसरी मृत्यु घोषणा में, मृतक ने अपना पहला बयान समझाया है कि यह एक दुर्घटना का मामला था और उसने दूसरी मृत्यु घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा कि जब उसने पहला बयान दिया कि यह एक दुर्घटना का मामला था, तो उसे अपीलार्थी द्वारा धमकी दी गई थी–मूल आरोपी नं। 1 कि वह उसके बच्चों को भी मार डालेगा। उसने दूसरी मृत्यु घोषणा में यह भी कहा कि उसके माता–पिता के आने के बाद उसे सच बोलने का साहस मिला। इसलिए, उच्च न्यायालय ने दूसरी मृत्यु घोषणा को सही माना।

पी5 प्रदर्शित करें। [पैरा 6–8] [609–ई–एच; 610–ए–सी]

1.2 बचाव पक्ष द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि यह एक दुर्घटना का मामला था और मिट्टी के तेल से मिट्टी का तेल डालते समय बोतल पर, वही जमीन पर रखे कपड़ों पर गिर गया था और जब मृतक ने उस जगह से कपड़े हटाने की कोशिश की, तो मोमबत्ती जमीन पर गिर गई, जिसके परिणामस्वरूप, उसके कपड़ों में आग लग गई और उसे जलने की चोटें आईं, उच्च न्यायालय द्वारा उन परिस्थितियों पर विचार करते हुए विश्वास नहीं किया जाता है जो उच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित हैं कि मृतक के चेहरे, छाती और पीठ और ऊपरी अंगों पर चोटें आई थीं। मुख्य चोटें शरीर के ऊपरी अंगों पर पाई जाती हैं। इसलिए, जैसा कि उचित रूप से देखा गया है उच्च न्यायालय, उपरोक्त चोटें तब संभव हो सकती हैं जब मृतक पर मिट्टी का तेल डाला जाता है। बचाव पक्ष के अनुसार और डीडब्ल्यू1–ए 1 के साक्ष्य के अनुसार, स्टोव में मिट्टी का तेल डालते समय, गलती से मिट्टी का तेल जमीन पर और उसके कपड़ों पर भी गिर गया था, और उसके बाद जब मोमबत्ती जमीन पर गिर गई, तो वह उसके कपड़ों और मिट्टी के तेल के संपर्क में आ गया था। अगर ऐसा होता तो उसके पैरों में भी चोट लगी होती। हालाँकि, उसके पैरों पर कोई जलन की चोट नहीं पाई गई है। घटना स्थल पर कोई चूल्हा नहीं मिला। इसलिए, बचाव पक्ष आकस्मिक आग के एक झूठे मामले के साथ सामने आया, जो, इस तरह, किसी अन्य विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। जिस पर

इसके विपरीत, यह प्रमाण कुछ और ही कहता है। इसलिए, जब ए 1 एक झूठे बचाव और अंतिम घोषणा के साथ आया–प्रदर्शनी पी5 की आसपास की अन्य परिस्थितियों और साक्ष्यों द्वारा पुष्टि की जाती है और प्रदर्शनी पी5 और प्रदर्शनी डी2 के स्वतंत्र मूल्यांकन के बाद, जब उच्च न्यायालय ने पाया है कि प्रदर्शनी पी5 विश्वसनीय और प्रेरक विश्वास है और उसके बाद जब उच्च न्यायालय ने

आरोपी को दोषी ठहराया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने कोई त्रुटि की है। वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त–अपीलार्थी ने मृतक पर मिट्टी का तेल डाला था। मरने वाली घोषणा प्रदर्शनी पी5 के अनुसार, यह साबित हो गया है कि मृतक को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई थी। अभियुक्त का कार्य आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड चौथे में आता है। अभियुक्त ने मृतक पर मिट्टी का तेल डाला और न केवल मिट्टी का तेल डाला बल्कि माचिस की छड़ी से उसे आग लगा दी। इसलिए, मृतक पर मिट्टी का तेल डालने और उसके बाद उसे आग लगाने के बाद, केवल इसलिए कि आरोपी ने आग बुझाने की कोशिश की होगी, मामले को आईपीसी की धारा 300 के खंड चौथे के चंगुल से बाहर नहीं निकालेगा। मृतक पर मिट्टी का तेल डालने और उसके बाद उसे माचिस की छड़ी से आग लगाने का आरोपी का कृत्य आसन्न है।

खतरनाक जो, सभी संभावनाओं में, मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए, उच्च न्यायालय ने आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए सही ठहराया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। [पारस 9–11] [610–F–H; 611–A–D; 611–E–F; 616–B–C]

बाबू वी। केरल राज्य (2010) 9 एस. सी. सी. 189: [2010] 9 एस. सी. आर. 1039; कुलदिप सिंह बनाम। पुलिस आयुक्त

(1999) 2 एस. सी. सी. 10; विजय मोहन सिंह बनाम कर्नाटक राज्य (2019) 5 एससीसी 436: [2019] 6 एस. सी. आर. 994; नल्लम वीरा स्टयानंदम बनाम। लोक अभियोजक (2004) 10 एस. सी. सी. 769; कश्मीरा देवी बनाम। उत्तराखंड राज्य (2020) 11 एससीसी 343: [2020] 1 एस. सी. आर. 152; आशाबाई बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2013) 2 एससीसी 224: [2013] 1 एससीआर 115; संतोष बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2015) 7 एससीसी 641: [2015] 4 एस. सी. आर. 962–पर निर्भर।

	मामला कानून संदर्भ	
[2010] 9 एससीआर 1039	पैरा 5.2.1	पर भरोसा करें
(1999) 2 एससीसी 10	पैरा 5.2.3	पर भरोसा करें
[2019] 6 एससीआर 994	पैरा 5.3	पर भरोसा करें
(2004) 10 एस. सी. सी. 769	पैरा 8	पर भरोसा करें
[2020] 1 एससीआर 152	पैरा 8	पर भरोसा करें
[2013] 1 एससीआर 115	पैरा 8	पर भरोसा करें

[2015] 4 एससीआर 962	पैरा 10	पर भरोसा करें

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं 443/2020

उच्च न्यायालय के 11.10.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 की आपराधिक अपील संख्या 525 में बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार की ओर से।

आनंद संजय एम. नुली, सूरज कौशिक, आगम शर्मा, धर्म

सिंह एम/एस। नुली और नुली, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना और बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील सं. 525/2013 में पारित दिनांक 11.10.2019 का दोषसिद्धि का आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी–कर्नाटक राज्य द्वारा की गई उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और बरी करने के फैसले और आदेश को उलट दिया है।

जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया–मूल अभियुक्त सं। 1 आई. पी. सी. की धारा 498 ए और 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संबंधित है और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया है–मूल अभियुक्त सं. 1 उपरोक्त अपराधों के लिए, मूल अभियुक्त सं। 1 वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने मूल आरोपी संख्या के रूप में बरी होने के फैसले और आदेश की पुष्टि की है। 2 और 3 चिंतित हैं।

2. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मूल आरोपी नं. 1 शादीशुदा।

मृतक, घटना की तारीख से नौ साल पहले पीडब्लू3 और पीडब्लू4 की बेटी थी। कि मृतक मानसिक रूप से पीड़ित था

क्रूरता और मृतक रेखा के माता–पिता से दहेज की मांग की गई थी। उस संबंध में, मध्यस्थता भी आयोजित की गई और उसके बाद पीडब्लू 3 और पीडब्लू4 ने रु। 10,000 / – और रु. 20,000 / – दो मौकों पर। 24.06.2010 को वैवाहिक गृह में लगभग 9 बजे, अपीलार्थी यहाँ–मूल

अभियुक्त नं. 1 उसने अपनी पत्नी रेखा (मृतक) के साथ झगड़ा किया और उस समय उसने मिट्टी का तेल लेकर उस पर डाला और आग लगा दी। मृतक को अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के आधार पर, जांच अधिकारी अस्पताल गया और 27.06.2010 (प्रदर्शनी पी5) पर उसका बयान दर्ज किया। यह आरोप लगाया जाता है कि इससे पहले भी 25.06.2010 पर मृतक का बयान पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था (प्रदर्शनी D2)। जाँच के समापन पर, जाँच अधिकारी ने सभी अभियुक्तों के

खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 498 ए और धारा 34 के साथ पठित दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया। यह मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था। अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और इसलिए उन सभी पर उपरोक्त अपराधों के लिए विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया।

2.1 अभियुक्त के खिलाफ मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने सभी 14 गवाहों से पूछताछ की और वृत्तचित्र को रिकॉर्ड में लाया।

प्रदर्शनी पी5–मृत्यु घोषणा और चिकित्सा साक्ष्य सहित साक्ष्य। कि अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य को बंद करने के बाद, धारा 313 सीआरपी के तहत आरोपी के आगे के बयान। पी. सी थे रिकॉर्ड किया गया। इसमें अपीलार्थी–मूल अभियुक्त सं। 1 स्वयं को डी. डब्ल्यू. 1 के रूप में जाँच किया और डी. डब्ल्यू. 2 के रूप में एक गवाह की भी जाँच की। अभियुक्त ने भरोसा किया

मृतक का पिछला बयान (डी2 प्रदर्शित करें)। साक्ष्य की सराहना करने और मृत्यु घोषणा–प्रदर्शनी पी5 पर विश्वास न करने और दो मृत्यु घोषणाओं प्रदर्शनी पी5 और प्रदर्शनी डी2 में विरोधाभास पाए जाने पर, विद्वत विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को उन अपराधों के लिए बरी कर दिया जिनके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था।

3. विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्त किए जाने के विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना, राज्य

कर्नाटक ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने निर्णय के आदेश और बरी करने के आदेश को उलट दिया है, जहाँ तक कि अपीलार्थी–मूल अभियुक्त सं। 1 संबंधित है और इसमें अपीलार्थी को दोषी ठहराया है–मूल

अभियुक्त नं. 1 आई. पी. सी. की धारा 498 ए और 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए। मूल के लिए दोषमुक्त करने का निर्णय और आदेश

अभियुक्त नं. 2 & 3 उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। 3.1 उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के निर्णय और आदेश को पलटने और अपीलार्थी को दोषी ठहराने के विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना–मूल अभियुक्त सं। 1 अपराधों के लिए [2021] 2 एस. सी. आर.

आई. पी. सी. की धारा 498 ए और 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय, मूल आरोपी नं. 1 वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित सुविचारित निर्णय और बरी करने के आदेश को उलटने में गंभीर त्रुटि की है।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि बरी करने के आदेश को उलटते हुए पारित किया गया

विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। पी. सी

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि दो मृत्यु घोषणाओं में भौतिक विरोधाभास थे और प्रदर्शनी डी2 समय पर पहली मृत्यु घोषणा थी जिस पर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा विश्वास किया गया था, इसलिए विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को बरी करने में कोई त्रुटि नहीं की।

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने साक्ष्य की सराहना पर, विशेष रूप से दो मृत्यु घोषणाओं पर, अविश्वास किया

4.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रदर्शनी पी5 के माध्यम से मृत्यु घोषणा पर विश्वास करते हुए, उच्च न्यायालय ने इस बात की सराहना नहीं की है कि वही था पीडब्लू 13, पीडब्लू 8 और मृतक के माता–पिता की उपस्थिति में पीडब्लू 10 द्वारा दर्ज किया गया।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि पहले की मृत्यु घोषणा डी2 को प्रदर्शित करती है, जिसे दर्ज किया गया था

25.06.2010 पर, घटना के अगले दिन तुरंत दर्ज किया गया था जिसमें मृतक रेखा ने विशेष रूप से कहा है कि यह एक आकस्मिक आग थी जिसके कारण वह जल गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अस्पताल में दर्ज इतिहास में भी, जब मृतक रेखा को भर्ती किया गया था, यह कहा गया था कि मृतक को दुर्घटनावश जलने की चोटें आई थीं।

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की ठीक से सराहना नहीं की है कि मृत्यु घोषणा (प्रदर्शनी पी5) को बाद में दर्ज किया गया था और वह भी मृतक के माता–पिता के अस्पताल पहुंचने के बाद।

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक रेखा को पढ़ाने की संभावना ताकि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ बयान दिया जा सके,

4.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद भी जब मृतक चिल्लाया, तो अपीलार्थी–मूल अभियुक्त नं। 1 मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की और आग बुझाते समय उनके दाहिने हाथ में भी जलन हुई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त अभियुक्त को दोषमुक्त करते समय विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा जिन परिस्थितियों पर विचार किया गया था, उन पर उच्च न्यायालय द्वारा विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्त किए जाने के आदेश को पलटते हुए और अभियुक्त–अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए विचार नहीं किया गया है और/या उनकी सराहना नहीं की गई है।

4.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब इसके खिलाफ अपील की गई थी निर्णय और बरी करने का आदेश, उच्च न्यायालय मौखिक के साथ–साथ दस्तावेजी साक्ष्य की पुनः सराहना करने में उचित नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल उस मामले में जहां विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत पाए जाते हैं, बरी करने के आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण था, जो अभिलेख पर साक्ष्यों की सराहना पर था

और इसलिए उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और बरी करने के आदेश को उलटने और इसमें अभियुक्त–अपीलार्थी को दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की है।

5. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

5.1 उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश के खिलाफ वैधानिक अपील होने के नाते बरी करने के फैसले को उलटना और इस तरह अपीलार्थी को दोषी ठहराना–मूल अभियुक्त सं। 1 , हमने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना की है।

5.2 गुण–दोष पर अपील पर विचार करने से पहले, दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपील पर कानून और धारा 378 Cr.P.C का दायरा और दायरा।

बरी किए जाने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर विचार किया जाना आवश्यक है।

5.2. 1 बाबू बनाम के मामले में। केरल राज्य, (2010) 9 एस. सी. सी. 189, इस न्यायालय ने धारा 378 Cr.P.C के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील में पालन किए जाने वाले सिद्धांतों को दोहराया था।

12. इस न्यायालय ने बार–बार उच्च न्यायालय के लिए निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। अपीलीय न्यायालय को आम तौर पर ऐसे मामले में बरी किए जाने के फैसले को दरकिनार नहीं करना चाहिए जहां दो विचार संभव हों, हालांकि अपीलीय न्यायालय का विचार अधिक संभावित हो सकता है। बरी किए जाने के फैसले पर विचार करते समय, अपीलीय अदालत को अभिलेख पर पूरे साक्ष्य पर विचार करना होता है, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्या निचली अदालत के विचार विकृत थे या अन्यथा अस्थिर थे। अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करने का अधिकार है कि क्या तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचने में, निचली अदालत स्वीकार्य साक्ष्य को ध्यान में रखने में विफल रही थी और/या कानून के विपरीत रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य को ध्यान में रखा था। इसी तरह, सबूत का बोझ गलत तरीके से रखना भी एक विषय हो सकता है–अपीलीय न्यायालय द्वारा जांच का विषय। (बालक राम बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1975) 3 एस. सी. सी. 219, शंभू मिसिर बनाम। बिहार राज्य (1990) 4 एस. सी. सी. 17, शैलेंद्र प्रताप बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2003) 1 एस. सी. सी. 761, नरेंद्र सिंह बनाम। एम. पी. राज्य (2004) 10 एस. सी. सी. 699, बुध सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2006) 9 एस. सी. सी. 731, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। राम वीर सिंह (2007) 13 एस. सी. सी. 102, एस. राम कृष्ण बनाम। एस. रामी रेड्डी (2008) 5 एससीसी 535, अरुलवेलु बनाम। राज्य (2009) 10 एस. सी. सी. 206, पेरला सोमशेखर रेड्डी बनाम। एपी राज्य (2009) 16 एससीसी 98 और राम सिंह बनाम। एच. पी. राज्य (2010) 2 एस. सी. सी. 445)

13. शीओ स्वरूप बनाम। राजा सम्राट ए. आई. आर 1934 पी. सी. 227

प्रिवी काउंसिल ने निम्नानुसार अवलोकन कियाः (आई. ए पी. 404)

..... उच्च न्यायालय को हमेशा उचित महत्व देना चाहिए और देगा और

ऐसे मामलों पर विचार करना जैसे (1) गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में विचारण न्यायाधीश के विचार; (2) अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने का अनुमान, निश्चित रूप से नहीं

इस तथ्य से कमजोर हो गया कि वह अपने मुकदमे में बरी हो गया है; (3)

14. इस न्यायालय द्वारा कानून के उपरोक्त सिद्धांत का लगातार पालन किया गया है। (तुलसीराम कानू वी. देखें। राज्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 1, बलबीर सिंह बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 216, एम. जी. अग्रवाल बनाम। महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 200, खेडू मोहटन वी. बिहार राज्य (1970) 2 एस. सी. सी. 450, संबाशिवन बनाम। केरल राज्य (1998) 5 एससीसी 412, भगवान सिंह बनाम। एम. पी. राज्य (2002) 4 एस. सी. सी. 85 और गोवा राज्य बनाम। संजय ठकरन (2007) 3 एस. सी. सी. 755)

15. चंद्रप्पा बनाम। कर्नाटक राज्य (2007) 4 एस. सी. सी. 415, इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को निम्नानुसार दोहरायाः (एस. सी. सी पी. 432 , पैरा 42)

" (1) अपीलीय न्यायालय के पास उस साक्ष्य की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति होती है, जिसके आधार पर बरी करने का आदेश दिया जाता है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, 'पर्याप्त और सम्मोहक कारण', 'अच्छे और पर्याप्त आधार', 'बहुत मजबूत' 'परिस्थितियाँ', 'विकृत निष्कर्ष', 'स्पष्ट गलतियाँ' आदि का उद्देश्य अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है।

दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में। साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपीलीय अदालत की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह के वाक्यांश 'भाषा के विकास' की प्रकृति में अधिक हैं। (4) हालाँकि, एक अपीलीय अदालत को यह ध्यान रखना चाहिए कि बरी होने के मामले में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत निर्दोषता का अनुमान उसके लिए उपलब्ध है कि प्रत्येक

व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित न हो जाए। दूसरा, अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को निचली अदालत द्वारा और मजबूत, पुनः पुष्ट और मजबूत किया जाता है।

(5) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी होने के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।

16. घुरे लाल बनाम। यू. पी. राज्य (2008) 10 एस. सी. सी. 450, इस न्यायालय ने उक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि अपीलीय न्यायालय

जिन मामलों में निचली अदालतों ने आरोपी को बरी कर दिया है, उनसे निपटने में यह ध्यान रखना चाहिए कि निचली अदालत का बरी होना इस धारणा को मजबूत करता है कि वह निर्दोष है। अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णय को उचित महत्व देना चाहिए और उस पर विचार करना

चाहिए क्योंकि विचारण न्यायालय को गवाहों के व्यवहार को देखने का विशिष्ट लाभ था, और वह गवाहों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए बेहतर स्थिति में था।

17. राजस्थान राज्य में v. नरेश (2009) 9 एस. सी. सी. 368, न्यायालय ने इस न्यायालय के पहले के निर्णयों की फिर से जांच की और निर्धारित किया किः (एस. सी. सी पी. 374, पैरा 20) " 20. ..... बरी करने के आदेश में हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, भले ही अदालत का मानना हो कि कुछ सबूत हैं जो इंगित करते हैं।

अभियुक्त की ओर उंगली। ' " "

18. यू. पी. राज्य बनाम बन्ने (2009) 4 एस. सी. सी. 271, इस न्यायालय ने कुछ उदाहरणात्मक परिस्थितियाँ दीं जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप करना न्यायालय के लिए उचित होगा। परिस्थितियों में शामिल हैंः (एस. सी. सी पी. 286, पैरा 28)

" (i) उच्च न्यायालय का निर्णय तय कानूनी स्थिति की अनदेखी करके कानून के पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण पर आधारित है;

((ख) उच्च न्यायालय के निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य और दस्तावेजों के विपरीत हैं।

(v) इस न्यायालय को हमेशा उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को उचित महत्व और विचार देना चाहिए; (vi) यह न्यायालय किसी मामले में हस्तक्षेप करने में अत्यधिक अनिच्छुक होगा जब सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने बरी करने का आदेश दर्ज किया है। नागभूषण बनाम.

धनपाल बनाम में इस न्यायालय द्वारा इसी तरह के दृष्टिकोण को दोहराया गया है। राज्य (2009) 10 एससीसी 401।

19. इस प्रकार, इस मुद्दे पर कानून को सारांशित किया जा सकता है

कि असाधारण मामलों में जहां बाध्यकारी हैं

परिस्थितियां, और अपील के तहत निर्णय पाया जाता है

इसके विपरीत, अपीलीय न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है

दोषमुक्त। अपीलीय न्यायालय को इस धारणा को ध्यान में रखना चाहिए

अभियुक्त की निर्दोषता और आगे कि निचली अदालत की

एक नियमित तरीके से जहां दूसरा दृष्टिकोण संभव हो टाल दिया जाता है, जब तक कि हस्तक्षेप के लिए अच्छे कारण न हों।

(जोर दिया गया)

5.2. 2 जब न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों को माना जा सकता है –

अनुच्छेद 20 में इस पर विचार किया गया है और विचार किया गया है

उक्त निर्णय, जो निम्नानुसार हैः

" 20. न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों को माना जा सकता है –

प्रतिकूल यदि निष्कर्षों को अनदेखा करके प्राप्त किया गया है या

प्रासंगिक सामग्री को छोड़कर या ध्यान में रखते हुए

अप्रासंगिक/अस्वीकार्य सामग्री। निष्कर्ष यह भी कहा जा सकता है कि

यदि यह "साक्ष्य के भार के विरुद्ध" है, या यदि इतना अपमानजनक रूप से ढूँढना तर्क की अवहेलना करता है कि वह बुराई से पीड़ित है

अविवेकीपन। (राजिंदर कुमार किंड्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन (1984)

4 एस. सी. सी. 635, आबकारी और कराधान अधिकारी–सह–निर्धारण अधिकारी

प्राधिकरण v. गोपी नाथ एंड संस 1992 पूरक (2) एस. सी. सी. 312, त्रिवेणी

रबड़ और प्लास्टिक बनाम। सी. सी. ई 1994 सप. (3) एससीसी 665, गया

दीन वी। हनुमान प्रसाद (2001) 1 एस. सी. सी. 501, अरुवेलु बनाम। राज्य

(2009) 10 एस. सी. सी. 206 और गामिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम। राज्य ए. पी. (2009) 10 एस. सी. सी. 636)। "

(जोर दिया गया)

5.2. 3 यह आगे देखा जाता है, इस निर्णय का पालन करने के बाद

टी. कुलदिप सिंह बनाम के मामले में। पुलिस आयुक्त (1999) सी 10, कि यदि कोई निर्णय बिना किसी साक्ष्य या अत्यंत अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर लिया जाता है और कोई भी उचित व्यक्ति ई आदेश पर कार्य नहीं करेगा, तो यह विकृत होगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड पर कुछ सबूत है जो स्वीकार्य है और जिन पर भरोसा किया जा सकता है, तो निष्कर्ष

घ को विकृत नहीं माना जाएगा और निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा [2021] 2 एस. सी. आर.

5.3 विजय मोहन सिंह बनाम के मामले में। कर्नाटक राज्य, (2019) 5 एस. सी. सी. 436, इस न्यायालय को फिर से धारा 378 Cr.P.C के दायरे और बरी होने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर विचार करने का अवसर मिला। इस न्यायालय ने कई निर्णयों पर विचार किया। 1952 के बाद से इस न्यायालय का। पैराग्राफ 31 में, यह निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 31. उमेदभाई जादवभाई (1978) 1 एस. सी. सी. 228 में इस न्यायालय के समक्ष एक समान प्रश्न पर विचार किया गया। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, उच्च न्यायालय ने अभिलेख

पर पूरे साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप किया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के फैसले को पलटते हुए आरोपी को बरी करते समय निचली अदालत द्वारा दिए गए कारणों पर विचार नहीं किया। उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने पैरा 10 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः (एस. सी. सी पी. 233)

" 10. एक बार जब बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील पर सही ढंग से विचार किया गया, तो उच्च न्यायालय को स्वतंत्र रूप से पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने का अधिकार था। आम तौर पर, उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश की राय को उचित महत्व देगा यदि साक्ष्य की उचित समीक्षा के बाद उन पर निर्णय लिया जाता है। यह नियम वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा जहां सत्र न्यायाधीश ने

मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में एक बहुत ही भौतिक और निर्णायक पहलू की पूरी तरह से गलत धारणा बनाई।

31.1 . सम्बाशिवन बनाम। केरल राज्य (1998) 5 एस. सी. सी. 412, उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश को उलट दिया और अभियुक्त को दोषी ठहराया।

हालाँकि, अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य ने इस प्रश्न पर अपना निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि क्या साक्ष्य से निपटने में निचली अदालत का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले को पलटने पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए, यह संतुष्ट होने के बाद कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने का आदेश विकृत था और दुर्बलता से पीड़ित था, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने पैरा 8 में निम्नानुसार टिप्पणी कीः स्वयं अनुपालन के तहत निर्णय को दरकिनार करना उचित है अपील? हम सोचते हैं, नहीं। हमारे विचार में, ऐसे मामले में, न्यायालय का दृष्टिकोण जो निर्णय की वैधता पर विचार कर रहा है

एक अपीलीय अदालत ने बरी करने के आदेश को उलट दिया है

विचारण न्यायालय द्वारा पारित, स्वयं को संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए यदि साक्ष्य से निपटने में निचली अदालत का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अस्थिर हैं और क्या अपीलीय अदालत का निर्णय

उन दुर्बलताओं से मुक्त है; यदि ऐसा है तो यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि विचारण न्यायालय

निर्णय हस्तक्षेप की गारंटी देता है। ऐसे मामले में

जाहिर है कि कोई कारण नहीं है कि अपीलीय अदालत के फैसले को क्यों बाधित किया जाना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी ओर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि निचली अदालत के फैसले में कोई कमजोरी नहीं है, तो यह माना जा सकता है कि हस्तक्षेप

अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के आदेश में न्यायसंगत नहीं था; तो ऐसे मामले में अपीलीय न्यायालय के निर्णय को दो उचित विचारों के रूप में अलग रखा जाना चाहिए, एक समर्थन में

बरी किए जाने को ही खड़ा होना पड़ता है। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम के निर्णय की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे

इस मामले में ट्रायल कोर्ट "।

. 2 . के. रामकृष्णन उन्नीथन बनाम। केरल राज्य (1999) एस. सी. सी. 309, यह देखने के बाद कि यद्यपि अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की शिकायत में कुछ सार है कि उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश के अनुसार विचारण न्यायाधीश द्वारा दिए गए सभी कारणों को स्वीकार नहीं किया है, इसने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को यह पाए जाने के बाद खारिज करने से इनकार कर दिया कि बरी करने के आदेश को दर्ज करने में सत्र न्यायाधीश का दृष्टिकोण उचित नहीं था और [2021] 2 एस. सी. आर.

विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा कई पहलुओं पर किया गया निष्कर्ष अस्थिर था। इस न्यायालय ने आगे कहा कि

सत्र न्यायाधीश अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए प्रासंगिक/भौतिक साक्ष्य को त्यागने में न्यायोचित नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने और अपना निष्कर्ष दर्ज करने का पूरी तरह से हकदार था। इस अदालत ने चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की जांच की और राय दी कि चश्मदीद गवाहों की गवाही को खारिज करने के लिए निचली अदालत द्वारा पेश किए गए कारण बिल्कुल भी सही नहीं थे। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि निचली अदालत द्वारा दिए गए साक्ष्य का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से गलत था और

इसलिए यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा बरी किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप करे।

31.3 . एटली वी। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 807, पैरा 5 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः (एयर पीपी। 809–10)

" 5. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि निचली अदालत का फैसला बरी करने वाला होने के कारण, उच्च न्यायालय को अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए साक्ष्य की केवल सराहना पर इसे तब तक दरकिनार नहीं करना चाहिए था जब तक कि वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि निचली अदालत के न्यायाधीश का फैसला विकृत था। में।

हमारी राय में, यह कहना सही नहीं है कि जब तक अपीलीय अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 के तहत अपील में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि

अपील के तहत बरी करने का निर्णय विकृत था और वह उस आदेश को दरकिनार नहीं कर सकता था।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि यह उच्च न्यायालय के लिए खुला है।

अदालत ने पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने के लिए बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर, निश्चित रूप से, इस सुस्थापित नियम को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा कमजोर नहीं है, बल्कि इसके द्वारा मजबूत की गई है

विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने का निर्णय जिसे गवाहों के आचरण को देखने का लाभ था जिनके

उसकी उपस्थिति में साक्ष्य दर्ज किए गए हैं।

यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपील की अदालत के पास व्यापक शक्तियां हैं

दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील में साक्ष्य की सराहना, जैसा कि दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, सवारों के अधीन रहते हुए कि निर्दोषता का अनुमान जिसके साथ अभियुक्त व्यक्ति विचारण न्यायालय में शुरू होता है, अपीलीय चरण तक भी जारी रहता है और यह कि अपीलीय न्यायालय को देय नागभूषण v.

यह नहीं कहा जा सकता कि इसे दूषित किया गया था। (इस संबंध में देखें कि बार में उद्धृत मामले, अर्थात् सूरजपाल सिंह बनाम। राज्य का आकाशवाणी

1952 एससी 52; विलायत खान बनाम। उत्तर प्रदेश का राज्य ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 122)

पूरे साक्ष्य की समीक्षा करना और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचना। 31.4 . के. गोपाल रेड्डी बनाम। ए. पी. राज्य (1979) 1 एस. सी. सी. 355,

इस न्यायालय ने कहा है कि जहां निचली अदालत खुद को अनुमति देती है काल्पनिक संदेहों से घिरा हुआ होना, इसके लिए विश्वसनीय साक्ष्य को अस्वीकार करना

संकीर्ण कारण और साक्ष्य का एक दृष्टिकोण लेता है जो है लेकिन

मुश्किल से संभव है, हस्तक्षेप करना उच्च न्यायालय का स्पष्ट कर्तव्य है

न्याय के हित में, ऐसा न हो कि न्याय प्रशासन लाया जाए

उपहास करने के लिए "।

(जोर दिया गया)

6. उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना

हाथ में मामले के तथ्यों और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के निर्णयों पर, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से अवलोकन किया है और कहा है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष मृत्यु घोषणा (प्रदर्शनी पी5) को अस्वीकार करना और/या विश्वास नहीं करना विकृत है और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के विपरीत है। उच्च न्यायालय ने मृत्यु घोषणा (प्रदर्शनी पी5) पर विश्वास करते हुए ठोस कारण दिए हैं और विस्तार से विचार भी किया है

बाद में मृत्यु घोषणा (प्रदर्शनी पी5) में क्या कहा गया है, विज़-ए-विज़, चिकित्सा साक्ष्य और मृतक को लगी चोटें। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और उसके बाद विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने में कोई त्रुटि नहीं की है, क्योंकि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत पाए गए हैं।

7. अब जहाँ तक अपील के गुण-दोषों का संबंध है, वह ऐसा नहीं कर सकता है

इस बात पर विवाद हो कि वर्तमान मामले में दो अंतिम घोषणाएं हैं, (i) पी5 प्रदर्शित करें और (ii) डी2 प्रदर्शित करें। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में

और आदेश ने दूसरी मृत्यु घोषणा-प्रदर्शनी पी5 पर भरोसा करने और उस पर विश्वास करने के लिए ठोस कारण दिए हैं। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि दूसरी मृत्यु घोषणा विश्वसनीय है और [2021] 2 एस. सी. आर. में संस्करण है।

दूसरी मृत्यु घोषणा परिस्थितियों द्वारा समर्थित है, अर्थात्, मृतक को लगी चोटें; घटना के स्थान पर कोई चूल्हा नहीं मिला था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि दूसरी मृत्यु घोषणा में, मृतक ने अपने पहले बयान को समझाया है कि यह दुर्घटना का मामला था और उसने दूसरी मृत्यु घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा कि जब उसने पहला बयान दिया था कि यह दुर्घटना का मामला था, तो उसे अपीलार्थी द्वारा धमकी दी गई थी-मूल आरोपी नं। 1 कि वह उसके बच्चों को भी मार डालेगा। उसने दूसरी मृत्यु घोषणा में यह भी कहा कि उसके माता-पिता के आने के बाद उसे

सच बोलने का साहस रखें। इसलिए, उच्च न्यायालय ने दूसरी मृत्यु घोषणा-प्रदर्शनी पी5 पर सही विश्वास किया।

8. इस स्तर पर, नल्लम वीरा स्टयानंदम बनाम के मामलों में इस न्यायालय के निर्णय। लोक अभियोजक (2004) 10 एससीसी 769;

कश्मीरा देवी बनाम। उत्तराखंड राज्य (2020) 11 एस. सी. सी. 343 और आशाबाई बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2013) 2 एस. सी. सी. 224 को संदर्भित करने की आवश्यकता है। उपरोक्त निर्णयों में, इस न्यायालय के पास उन मामलों पर विचार करने का अवसर था जहां कई मृत्यु घोषणाएं हैं। उपरोक्त निर्णयों में, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रत्येक मृत्यु घोषणा को उसके साक्ष्य मूल्य के रूप में अपनी योग्यता के आधार पर स्वतंत्र रूप से माना जाना चाहिए और एक को दूसरे की सामग्री के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह भी माना जाता है कि न्यायालय को उनमें से प्रत्येक पर अपने सही परिप्रेक्ष्य में विचार करना होगा

9. हाथ में मामले के तथ्यों के लिए उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना, और स्वतंत्र रूप से दोनों मृत्यु घोषणाओं के मूल्यांकन पर, प्रदर्शनी पी 5 के रूप में दर्ज मृत्यु घोषणा वास्तविक स्थिति को दर्शाती है और सामग्री चिकित्सा साक्ष्य और मृतक को लगी चोटों द्वारा समर्थित है। बचाव पक्ष द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि यह एक दुर्घटना का मामला था और मिट्टी के तेल के डिब्बे से मिट्टी का तेल बोतल में डालते समय, वह जमीन पर रखे कपड़ों पर गिर गया था और जब मृतक ने कोशिश की उस जगह से कपड़े हटाने के लिए, मोमबत्ती जमीन पर गिर गई, जिसके परिणामस्वरूप, उसके कपड़ों में आग लग गई और उसे जलने की चोटें आईं, उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित परिस्थितियों को देखते हुए अविश्वास किया जाता है।

अदालत ने कहा कि मृतक के चेहरे, छाती और पीठ और ऊपरी अंगों पर चोटें आई हैं। मुख्य चोटें शरीर के ऊपरी अंगों पर पाई जाती हैं। इसलिए, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया है, उपरोक्त नागभूषण बनाम।

मृतक पर मिट्टी का तेल डालने से चोट लग सकती है। बचाव पक्ष के अनुसार और डीडब्ल्यू1–ए 1 के साक्ष्य के अनुसार, स्टोव में मिट्टी का तेल डालते समय, गलती से मिट्टी का तेल जमीन पर और उसके कपड़ों पर भी गिर गया था, और उसके बाद जब मोमबत्ती जमीन पर गिर गई, तो वह उसके कपड़ों और मिट्टी के तेल के संपर्क में आ गया था। अगर ऐसा होता तो उसके पैरों में भी चोट लगी होती। हालाँकि, उसके पैरों पर कोई जलन की चोट नहीं पाई गई है। घटना स्थल पर कोई चूल्हा नहीं मिला। इसलिए, बचाव पक्ष आकस्मिक आग के एक झूठे मामले के साथ सामने आया, जो, इस तरह, किसी भी द्वारा समर्थित नहीं है

अन्य विश्वसनीय साक्ष्य। इसके विपरीत, यह प्रमाण कुछ और ही कहता है। इसलिए, जब ए 1 एक झूठे बचाव और अंतिम घोषणा के साथ आया–प्रदर्शनी पी5 की आसपास की अन्य परिस्थितियों और साक्ष्यों द्वारा पुष्टि की जाती है और प्रदर्शनी पी5 और प्रदर्शनी डी2 के स्वतंत्र मूल्यांकन के बाद, जब उच्च न्यायालय ने पाया है कि प्रदर्शनी पी5 विश्वसनीय और प्रेरक विश्वास है और उसके बाद जब उच्च न्यायालय ने

अभियुक्त, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने कोई त्रुटि की है।

10. अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन है कि उसके बाद भी उसने आग बुझाने का प्रयास किया और उसे चोटें भी आईं और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध किया है, शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष इसमें सफल रहा है। यह साबित करते हुए कि अभियुक्त–अपीलार्थी ने मृतक पर मिट्टी का तेल डाला। मरने वाली घोषणा प्रदर्शनी पी5 के अनुसार, यह साबित हो गया है कि मृतक को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई थी। अभियुक्त का कार्य आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड चौथे में आता है। अभिलेख पर साक्ष्य से यह पता चलता है कि आरोपी ने मृतक पर मिट्टी का तेल डाला और न केवल मिट्टी का तेल डाला बल्कि माचिस की छड़ी से उसे आग लगा दी। केवल इसलिए कि उसके बाद ए 1 ने आग बुझाने की कोशिश की होगी, जो मामले को आई. पी. सी. की धारा 300 के चौथे खंड से बाहर नहीं लाएगा।

संतोष बनाम के मामले में इस न्यायालय के समक्ष कुछ इसी तरह का निवेदन किया गया था। महाराष्ट्र राज्य (2015) 7 एससीसी 641। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, मृतक पर मिट्टी का तेल डालने और उसे माचिस की छड़ी से आग लगाने वाले अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया था कि इसके बाद उन्होंने मृतक पर पानी डालकर उसे बचाने की कोशिश की और इसलिए अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया कि उस आचरण से यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त का इरादा मृतक की मौत का कारण बनना था। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 9 से 18 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी करके उपरोक्त को अस्वीकार कर दिया हैः

" 9. जहाँ तक पहला तर्क है कि अपीलार्थी नहीं है

मृतक सरस्वतीबाई की मृत्यु के लिए जिम्मेदार, बचाव पक्ष ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि आग दुर्घटनावश लगी थी और अपीलार्थी ने उसे बचाने के लिए आग बुझाने की कोशिश की और उस प्रक्रिया में, उसे भी जलने की चोटें आईं। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश किए हैं कि अपीलार्थी मृतक सरस्वतीबाई की मौत का कारण बना है। आरोपी को शक हुआ कि

बेवफाई से मरकर और उस पर लड़ाई करते हुए, उसने उसे लात मारी और मुट्ठी से वार किया और आगे उसे आग लगा दी।

पीडब्लू 3 की गवाही, सिंधु सुनील इंगोले (मृतक की साली)। पीडब्लू 1 राजू जनराव गवई, मृतक के पड़ोसी, जो मृतक के साथ अस्पताल गए थे, जिनके पास मृतक ने आरोपी के खुलेआम कृत्य के बारे में बयान दिया था, ने केवल इतना कहा था कि मृतक ने उसे बताया था कि आरोपी ने उसे पीटा और उसे लात भी मारी। पीडब्लू 1 ने मृत्यु घोषणा में मृतक के बयान का समर्थन नहीं किया था कि आरोपी ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने एक्सट द्वारा अभियुक्त के अपराध को स्थापित किया है। 1 मृत्यु घोषणा और मां (पीडब्लू 2) और साली (पीडब्लू 3) के मौखिक साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जा सकता है। 10. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि कोई पूर्वधारणा नहीं थी और अपीलार्थी ने पास के दीपक से मिट्टी का तेल डाला था और उसके बाद अपीलार्थी ने उस पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया और इस प्रक्रिया में खुद को जलने की चोटें आईं। यह प्रस्तुत किया गया था कि घटना के तुरंत बाद आग बुझाने की कोशिश में अपीलार्थी का आचरण स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि अपीलार्थी की ओर से हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने कालू राम बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। राजस्थान राज्य [(2000) 10 एससीसी 324: 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 86]

11. विचाराधीन सवाल यह है कि क्या आरोपी द्वारा पानी डालने से हत्या का अपराध कम होगा।

जहाँ हत्या का इरादा मौजूद है, वह अधिनियम हत्या के बराबर है, जहाँ ऐसा इरादा अनुपस्थित है, वह अधिनियम गैर–इरादतन हत्या के बराबर है। यह निर्धारित करने के लिए कि अपराधी का इरादा था या नहीं, प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से, यह स्पष्ट है किः (i) एक हत्या हुई थी, अर्थात् सरस्वतीबाई की मृत्यु; (ii) मृतक को आग लगा दी गई थी अपीलार्थी और यह

कार्य दुर्घटनावश या अनजाने में नहीं किया गया था; और (iii) पोस्टमार्टम प्रमाण पत्र से पता चला कि मृतक की मृत्यु हो गई थी।

मृतक। पी. डब्ल्यू. 5, पंच गवाह के साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलार्थी के घर में एक खाली शराब की बोतल में मिट्टी के तेल का दीपक तैयार किया गया था। मिट्टी के तेल को मिट्टी के तेल के दीपक से डाला गया था या डिब्बे से डाला गया था, इसका कोई मतलब नहीं है। जब मृतक को आग लगाने के आरोपी के कार्य के बारे में स्पष्ट सबूत होता है, तो पूर्व-चिंतन की अनुपस्थिति हत्या के अपराध को गैर-इरादतन हत्या में नहीं घटाएगी। इसी तरह, पानी डालने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होगी। 12. प्रकृति की पुकार पर ध्यान देने के बाद मृतक घर में थोड़ी देर से लौटा। आरोपी ने उससे पूछा कि वह क्यों थी

देर से आया और उसे उसकी निष्ठा पर भी संदेह हुआ। आरोपी के लिए मिट्टी का तेल डालने और उसे आग लगाने के लिए कोई उकसावा नहीं था। मिट्टी का तेल डालने की क्रिया, हालांकि पल भर में, एक माचिस की छड़ी जलाकर मृतक पर फेंक दी गई और इस तरह उसे आग लगा दी गई। दोनों कृत्य एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो जाती है और आरोपी का कार्य दंडनीय है।

हत्या के लिए। 13. यह मानते हुए भी कि अभियुक्त का मृतक की मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था, अभियुक्त का कार्य आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड चौथे के तहत आता है जो कि इतनी आसन्न रूप से खतरनाक चोट पहुंचाने का कार्य है जहां यह सभी संभावनाओं में मृत्यु का कारण बनेगा। औसत बुद्धि वाले किसी भी व्यक्ति के पास ज्ञान होगा

कि मिट्टी का तेल डालना और उसे आग लगा देना रोशन माचिस की छड़ी इतनी आसन्न रूप से खतरनाक होती है कि सभी संभावनाओं में इस तरह के कार्य से चोट लग सकती है जिससे मृत्यु हो सकती है।

14. जहाँ तक आग बुझाने के प्रयास में अभियुक्त के आचरण का संबंध है, कालू राम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करना।

मामला [(2000) 10 एससीसी 324: 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 86], यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त के इस तरह के आचरण से अपराध में कमी आएगी।

हत्या से लेकर गैर इरादतन हत्या तक। कालू राम मामले में [(2000) 10 एससीसी 324: 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 86], अभियुक्त की दो पत्नियाँ थीं। अत्यधिक नशे की हालत में आरोपी ने अपनी पत्नी को उसके गहने देने के लिए कहा ताकि वह और शराब खरीद सके, जिसके कारण जब पत्नी ने मांग के अनुसार करने से इनकार कर दिया तो झगड़ा हो गया। इस तथ्य से क्रोधित होकर कि उसकी पत्नी उसकी मांगों को स्वीकार करने में विफल रही, आरोपी ने कहा

परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त का इरादा उन चोटों को पहुँचाने का नहीं था जो उसे अभियुक्त के कार्य के कारण लगी थीं और दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II में बदल दिया गया था। 15. कालू राम मामले में निर्णय [(2000) 10 एस. सी.

सी. 324: 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 86] तत्काल मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। नशे के तत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि यह सोचने की शक्ति को काफी बदल देता है। तत्काल मामले में, आरोपी पूरी तरह से होश में था, अपने कृत्य के परिणामों को पूरी तरह से जानता था। इसके बाद आरोपी द्वारा मृतक पर पानी डालने का कृत्य भी उसके अपराध को छिपाने का प्रयास प्रतीत होता है क्योंकि उसने ऐसा तभी किया जब मृतक मदद के लिए चिल्लाया। इसलिए, इसे कम करने वाला कारक नहीं माना जा सकता है। पूर्ण जागरूकता में एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, इसके परिणामों को जानते हुए, किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक नशे की हालत में किए गए कार्य के बराबर नहीं माना जा सकता है, जहां उसकी तर्क क्षमता धुंधली हो जाती है।

16. शादी के तीन महीने के भीतर, मृतक की जलने की चोटों से मृत्यु हो गई। दुल्हन को जलाने के मामलों में, जब भी आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे घर लाया जाता है, तो अदालत का कर्तव्य है कि वह इससे सख्ती से निपटे और कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम दंड का आदेश दे ताकि यह अन्य व्यक्तियों को ऐसा अपराध करने से रोकने के लिए काम कर सके।

17. इस न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर उन मामलों में सतर्कता की आवश्यकता पर जोर दिया है जहां एक महिला की जलने की चोटों से मृत्यु हो जाती है।

उसकी शादी की अल्प अवधि और ऐसे सभी मामलों में उस कठोर दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। सत्य नारायण तिवारी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [(2010) 13 एस. सी. सी. 689: (2011) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 393], इस न्यायालय ने पैरा 3 और 9 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः (एससीसी पीपी। 692 & 693)

" 3. भारतीय समाज एक बीमार समाज बन गया है। यह इस न्यायालय (और देश की लगभग सभी अदालतों में भी) में आने वाले बड़ी संख्या में मामलों से स्पष्ट है जिसमें युवा महिलाएं हैं। अपने पतियों द्वारा या अपने ससुराल वालों द्वारा उन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर और उन्हें आग लगा कर या फांसी/फांसी देकर उनकी हत्या की जा रही है।

उनका गला घोंटना। समाज की सभ्यता का स्तर क्या है?

जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं का इलाज किया जाता है। भयानक और बर्बर तरीके से? हमारे समाज में क्या है?

यह इस मामले से स्पष्ट होता है।

***

9. महिलाओं के खिलाफ अपराध सामान्य अपराध नहीं हैं जो गुस्से में या संपत्ति के लिए किए जाते हैं। ये सामाजिक अपराध हैं। वे पूरे सामाजिक ताने–बाने को बाधित करते हैं। इसलिए वे कड़ी सजा की मांग करते हैं। दुर्भाग्य से, हमारे समाज में जो हो रहा है वह यह है कि लोग अक्सर पैसे की लालसा में दहेज की मांग कर रहे हैं और जितना हो सके उतना पैसा निकालने के बाद वे पत्नी की हत्या कर देते हैं और फिर से शादी कर लेते हैं और फिर उसी उद्देश्य के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं। यह हमारे समाज के पूर्ण व्यावसायीकरण और धन की लालसा के कारण है।

लोगों को पत्नी की हत्या करने के लिए प्रेरित करता है। वह समय आ गया है जब हमें अपने समाज से इस बुराई को मिटा देना है,

लोहे के हाथ से "।

18. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विश्लेषण पर, निचली अदालतों ने समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए कि आरोपी ने मृतक सरस्वतीबाई की मृत्यु का कारण बना और अपीलार्थी को दोषी ठहराया। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि निष्कर्ष विकृत न हों और

अभिलेख पर साक्ष्य से असमर्थनीय। इस विचार को धनंजय शंकर शेट्टी बनाम में दोहराया गया है। की स्थिति महाराष्ट्र [(2002) 6 एससीसी 596: 2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1444] तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में, हमारे विचार में, नीचे दी गई अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष इस पर आधारित हैं –

साक्ष्य और हम हस्तक्षेप की गारंटी देने वाले विवादित निर्णय में कोई कमजोरी नहीं देखते हैं।

इसलिए, मृतक पर मिट्टी का तेल डालने और उसके बाद उसे आग लगाने के बाद, उसके बाद केवल इसलिए कि आरोपी के पास हो सकता है

आग बुझाने का प्रयास मामले को आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड चौथे के चंगुल से बाहर नहीं निकालेगा। अभियुक्त द्वारा मृतक पर मिट्टी का तेल डालने और उसके बाद उसे माचिस की छड़ी से आग लगाने का कृत्य आसन्न रूप से खतरनाक है, जो सभी संभावनाओं में मौत का कारण बन सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए सही ठहराया है। 11. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती है। हम विवादित लोगों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश। अपील खारिज किए जाने के योग्य है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

याचिका खारिज कर दी गई।